



भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा गूगल पर जुर्माना

अलफाबेट (Alphabet) के स्वामित्व वाले गूगल पर हाल ही में एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के पारसिधितिकी तंत्र से संबंधित क्लेशों में "अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग" करने के लिये भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

मुद्दा क्या है?

- वर्ष 2019 में CCI ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित स्मार्टफोन के बारे में ग्राहकों की शिकायतों के जवाब में गूगल के अनुचित व्यावसायिक व्यवहार की जाँच का आदेश दिया।
- गूगल के खिलाफ आरोप Android OS और गूगल के मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के बीच दो समझौतों पर आधारित थे, ये हैं **मोबाइल एप्लीकेशन वितरण अनुबंध (MADA)** और **एंटी-फ्रेगमेंटेशन अनुबंध (AFA)**।
- MADA के तहत संपूर्ण **गूगल मोबाइल सूट (Suite)** की अनविरय प्री-इंस्टालेशन और अनइंस्टॉल वकिलप की कमी के कारण CCI ने दावा किया कि गूगल ने प्रतस्पर्द्धा कानून का उल्लंघन किया है।
 - गूगल मोबाइल सेवाएँ (GMS) गूगल एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का एक संग्रह है** जो सभी उपकरणों में कार्यक्षमता को सुवर्धित करता है। गूगल के प्रमुख उत्पाद, जैसे- गूगल सर्च, गूगल क्रोम, यूट्यूब, प्ले स्टोर और गूगल मानचित्र आदि सभी GMS में शामिल हैं।
- गूगल द्वारा उपकरण निर्माताओं पर अनुचित शर्तें थोपना प्रतस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है।
 - एक प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग प्रतस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आता है।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI):

- परिचय:**
 - भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग एक सांघिक निकाय है जो [प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002](#) के उद्देश्यों को लागू करने के लिये उत्तरदायी है। इसका वर्धित गठन मार्च 2009 में किया गया था।
 - राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर [एकाधिकार और प्रतस्पर्द्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम \(MRTP Act\)](#), 1969 को नरिसत कर इसे प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतस्पर्द्धापति किया गया है।
- संरचना:**
 - प्रतस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में **एक अध्यक्ष और छह सदस्य** होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 - आयोग एक **अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body)** है जो सांघिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं।
- सदस्यों की पात्रता:**
 - इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिये ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो सत्यनिष्ठा और प्रतस्पर्द्धा के साथ-साथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो या जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणज्य, वर्धित, वित्त, लेखा कार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतस्पर्द्धा संबंधी वर्धियों में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का वर्धित ज्ञान एवं वर्धित अनुभव हो और केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिये उपयोगी हो।

प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002:

- प्रतस्पर्द्धा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था और **प्रतस्पर्द्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007** द्वारा इसे संशोधित किया गया। यह आधुनिक प्रतस्पर्द्धा वर्धियों का अनुसरण करता है।
 - यह अधिनियम प्रतस्पर्द्धा-वरीधी करारों और उद्यमों द्वारा अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग का प्रतस्पर्द्धा करता है तथा समुच्चयों [अर्जन, नरितरण, 'वर्धित एवं वर्धित' (M&A)] का वर्धित करता है, क्योंकि इनकी वर्ध से भारत में प्रतस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतस्पर्द्धा प्रभाव पड़ता है या इसकी संभावना बनी रहती है।
 - संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग और **प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (Competition Appellate Tribunal- COMPAT) की स्थापना की गई**।
 - वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) से प्रतस्पर्द्धापति कर दिया।

स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ci-penalty-on-google>

